



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2024

जयपुर, दिनांक :

आज्ञा

श्री सूर्यकान्त शर्मा, आर.ए.एस., उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का स्थानान्तरण / पदस्थापन उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चुरु) के पद पर राज्यहित में एतद्वारा तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

श्री रवि कुमार, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चुरु) को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है। ये अपनी उपस्थिति कार्मिक (क-4) विभाग में देंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अपर्णा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7111394



Signature valid

Digitally signed by Aparna Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.05.11 18:22:53 IST
Reason: Approved